सरदाराराम – भानाराम प्र.क्र. 24/08

दिनांक	आज्ञा पत्र
21.12.17	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजर। रिकार्ड तलबी। दिनांक 20.3.18 को पेश हो।
20.3.18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वकील अपीलांट ने जाहिर किया कि विवादित आराजी ख.नं. 6, 7, 9, 10, 11, 5-व 8, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127 कुल किता 15 रकबा 15.59 हैक्टेयर ग्राम गोरधनपुरा जिसके पुराने ख.नं. 2, 2/421, 73 व 74 रकबा 62 बीघा 13 बिस्वा थे। इस आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि बैंक द्वारा रहन की गई जिसमें बैंक ने इस आराजी की सार्वजनिक बोली लगाई जिसमें अधिकतम बोली प्रार्थी द्वारा दि. 22-12-1997 को लगाई जिस पर उक्त आराजी में 1/4 हिस्से की नीलामी राशि में से 17000/- रुपये जमा करवाकर कब्जा ले लिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी का नाम रह जाने से वह इस आराजी को पुनः रहन रख कर प्रार्थी/अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है जिसका इसे कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रा.पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे। अदालत मातहत ने मेरा प्रार्थना पत्र विधि विरुद्ध खारिज किया है अतः अपील स्वीकार कर प्रा.पत्र स्वीकार –

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

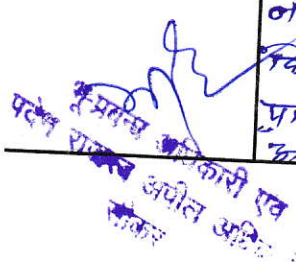

इसी सन्दर्भ में विद्वान वकील रेस्पो० ने जाहिर किया कि अपीलांट स्वर्ण जाति (ओ०बी०सी०) का सदस्य है तथा रेस्पो० अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जिसकी भूमि किसी भी स्थिति में अपीलांट को नहीं दी जा सकती। इस भूमि पर अपीलांट को कोई कब्जा नहीं है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित दिया है।

बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली पर मनन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट स्वर्ण जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग) का तथा रेस्पो० सं० 1 अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। अनुसूचित जन जाति के सदस्य की भूमि उच्च जाति के सदस्य को नहीं दी जा सकती जैसा राज० का०अधि० की धारा-42(ख) में स्पष्ट है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार सं० 2061-64 में रेस्पो० सं० 1 विवादित अराजी का 1/4 हिस्से का रेकार्डेड सह खातेदार है। अपीलांट का विवादित अराजी पर न तो कब्जा प्रमाणित है और न रेकार्ड में दर्ज है। अदालत मातहत ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र कब्जा काश्त नहीं होने पर खारिज किया है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 15-9-2007 यथावत रखा जाता है। ~~पत्रावली~~ नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ...